विषय है परंतु वादीगण/सायलान का अपने हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी वादीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दोनों बिंदू सायलान/वादीगण के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही गैरसायलान संख्या 1 द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का रहन, बैचान, हस्तान्तरण करने से इंकार नहीं किया सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं सायलान को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का साना करना पडेगा। गैरसासलान के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायलान के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायलान** को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नही करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायलान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1417/2 रकबा 6.4992 हेक्टेयर किस्म बारानी अव्वल व खसरा संख्या 1417/3 रकबा 8.0937 किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 2 रकबा 14.5929 हेक्टेयर में रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नही करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)